

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक प.2 (4121)निचिस्वा/विधि/अपील/2014/3369 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 21041/2013 शैलेश कुमारी (जीएनएम अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज) बनाम राज्य सरकार व अन्य में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटा को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था।

प्रकरण मेडिकल कॉलेज से संबंधित होने पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा द्वारा डॉ० राजेश रामवानी, सीनियर डेमोस्ट्रेटर, भेषज विभाग को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में दो केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त हो गये। अतः निदेशालय के आदेश क्रमांक प.2(4121) निचिस्वा/विधि/अपील/2014/3369 दिनांक 14.08.2014 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(4121)निचिस्वा/विधि/अपील/2015/145

दिनांक: 29-1-15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
- 2 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटा एवं केस प्रभारी अधिकारी।
- 4 श्री संजय कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कौंसिल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, मोबाईल नंबर 94142-41917
- 5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
- 6 रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर